[Shri Hari Vishnu Kamath]

Commission, however, submitted last year an interim report which the Government had not placed before the House...

SHRI DINEN BHATTACHARYA: ...which I mentioned that day.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: On 15-3-79 the Minister also stated that the question of appointing a new Commission or a new Chairman of the Commission was under consideration.

In the circumstances, therefore, it is imperative in the national interest that the Government should without further delay either appoint a new Commission to complete the task assigned to Dr. Nagappa Alva, or lay on the Table of the House the interim report of the Alva Commission together with a Memorandum of action taken by Government thereon. We are all happy to know about the steady progres in the condition of Shri Jayaprakash Narayan and hope that by God's Grace, in his own words' ईश्वर कीकृपा से he will recover fully very soon.

(ii) Reported shortage of Coal in Madhya Pradesh

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय विगत कई महीनों से प्राय: देश भर में कोयले की कमी के कारण कारखानों के समक्ष संकटमय स्थिति बनी हुई है। इस कमी से कोई भी प्रदेश वंचित नहीं है। किन्तु मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कठिनाई है। यद्यपि 1977 के बाद से कोयले पर कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन कोयले के परिवहन हेतु वैगनों का आवंटन संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता द्वारा किया जाता है और राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैगंस उपलब्ध न होने के कारण कोयले के परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों से उद्योगों व अन्य उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला उपलब्ध नहीं हो पाता है। परिवहन की इन कठिनाइयों से कोयले की कमी निर्मित होती है जिससे कि उद्योगों के उत्पादन तथा राज्य के औद्योगिक विकास की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता वर्ष 1971 से इस राज्य को वैगंज का आवंटन कर रहे हैं। वर्ष 1976 में स्टीम के कोल के 2200 वैगंज प्रति माह इस राज्य को आवंटित हुए थे। वर्ष 1976 में कोटे पर से सीलिंग हटा लिया गया था और इकाइयों को मांग के अनुसार कोटा आवंटित किया गया था। सीलिंग हटाने के कारण राज्य की इकाइयों के द्वारा 3576 वैगंज प्रति माह की अनुशंसा की गई थी।

वर्ष 1978 से पुन: वैगंज का कोटा प्रारम्भ हुआ तथा संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता ने केवल 2000 वैगंज प्रतिमास आवंटित किये जबकि मांग वार्षिक 27073 वैगंज की प्राप्त हुई थी। अस्तु प्राप्त आवंटन को समानुपातिक आधार पर राज्य की सभी इकाइयों को आवंटित किया गया। यह आवंटन इकाइयों की आवश्यकता से काफी कम था।

लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। संयुक्त संचालक यातायात (कोल) कलकत्ता अनुशंसित वैगनों की सीलिंग के बावजूद भी कटौती कर देती हैं और उनके स्तर से कटौती के अतिरिक्त अधीक्षक दक्षिण पूर्वी रेलवे बिलासपुर पुन: और कटौती कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेलवे अधिकारी इकाइयों के नाम पर आई हुई वैगनों को इकाइयों को न देते हुए दूसरी जगह प्रत्यावर्तित कर देती हैं।

इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग लगातार केन्द्रीय शासन और संबंधित अधिकारी को लिख रहा है कि राज्य को प्राप्त 24000

वैगंज प्रतिवर्ष के कोटे को बढ़ा कर 39000 वैगंज प्रतिवर्ष किया जाए जिससे कि औद्योगिक इकाइयां अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें और दिए गए सीलिंग में कोई कटौती न की जाए। विभाग के स्तर पर हर सम्भव प्रयास किए गए कि राज्य की औद्योगिक इकाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला वैगंज प्राप्त हो सकें किन्तु अभी तक वांछित फल नहीं मिल सका है। और प्रदेश को काफी संकट का सामना औद्योगिक इकाइयों को कोयला समय पर देने में हो रहा है।

मैं सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में तुरन्त योग्य व प्रभावी व्यवस्था करें जिससे प्रदेश में व्याप्त कोयले की कमी का संकट दूर हो सके।

(iii) REPORTED OPENING OF LIQUOR SHOPS IN RESIDENTIAL COLONIES OF DELHI

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली प्रशासन ने शराब की दुकानें डी एस आई डी सी के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में खोलने का निश्चय किया है। यह निर्णय तो अफसोसनाक है ही, इससे भी अधिक अफसोस की बात यह है कि यह दुकानें मंज्ञान बस्तियों के बीचोबीच खोली जा रही हैं। इसका एक उदाहरण है— राजोरी गार्डन जी- 8 क्षेत्र, मायापुरी एम आई जी फ्लैटों में डी डी ए द्वारा बनाए गए सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की नई दुकान खोलना। यह सुविधाजनक केन्द्र बस्ती के बिलकुल बीच में बना हुआ है और इस प्रकार के केन्द्रों को फ्लैटों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली प्रशासन ने शराब को रोजमर्रा की आवश्यकता मान लिया है और वह भी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्योंकि इस कालोनी में अधिकतर सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं और हाल में दो सौ के करीब फ्लैटों को एस्टेट आफिस ने डी डी ए से खरीदा है और सरकारी कर्मचारियों को एलाट किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि डी डी ए ने नियमों का उल्लंघन करके सुविधाजनक विपणन केन्द्र में शराब की दुकान खोलने के लिए किस आधार पर अनुमति दी है।

मुझे बताया गया है कि इस सिलसिले में कालोनी के प्रतिनिधि मंडल ने आदरणीय प्रधान मंत्री से भी भेंट की है तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री साहनी एवं आबकारी विभाग के कार्यकारी पार्षद श्री राजेश शर्मा और डी डी ए तथा डी एस आई डी सी के संबंन्धित अधिकारियों से भी मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया है। इस सम्बन्ध में कालोनी की महिलाओं की प्रतिनिधि संस्था "प्रगति महिला मंडल" की ओर से उपराज्यपाल, प्रधान मंत्री जी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों और नेताओं को जोरदार विरोधपत्र भेजे गये हैं, जिनमें ऐसी दुकान खुलने पर महिलाओं द्वारा धरने दे कर शराब की बिक्री बन्द करवाने की बात भी कही गई है। इस सबसे यह स्पष्ट है कि वहां के लोग इस दुकान के खुलने से किस प्रकार चिन्तित हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए तो वहां खरीददारी के लिए जाना भी दूभर हो जाएगा।

अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का कष्ट करें और शराब की दुकानों को रिहायशी बस्तियों में न खोलने का दिल्ली प्रशासन को निर्देश दें।

(iv) STATE OF HEALTH OF SHRI J. B. KRIPALANI

श्री विनायक प्रसाद यादव : (सहरसा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम